

राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.12(9)गृह-1 / 2011-पार्ट

जयपुर, दिनांक 29.07.2016

आज्ञा

29 JUL 2016

राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 62(1) व 66 के प्रावधानों के अनुसार जिला राजसमंद हेतु जिला स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता है:-

- 1- श्री महेश पालीवाल, अध्यक्ष  
हरिओम भवन, कॉकरोली, जिला राजसमंद, मो0नं0 9414172254
- 2- श्रीमती कमला जोशी, सदस्य  
रिछेड, तहसील-कुम्भलगढ, जिला राजसमंद ।
- 3- श्री शोभा लाल रैगर, सदस्य  
पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, देवगढ, जिला राजसमंद,  
मो0नं0 9413093991
- 4- श्री गोविन्द सोनी, सदस्य  
निवासी- रेल मगरा, जिला राजसमंद मो0नं0 9414685691
- 5- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला राजसमन्द । सदस्य सचिव

उक्त अधिनियम की धारा 68 के अन्तर्गत इस समिति की पदावधि दो वर्ष की होगी ।

आज्ञा से,

ए

(पवन कुमार जैन)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर ।
- 2- विशिष्ट सहायक, माननीय गृह मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
- 3- वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह/शासन सचिव, गृह ।
- 5- महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ।
- 6- जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द ।
- 7- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, शासन सचिवालय जयपुर ।

29/7/2016  
(कैलाश चन्द्र गुप्ता)

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस